रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-06122022-240844 CG-WB-E-06122022-240844

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5448] No. 5448] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

(निर्माण विभाग)

अधिसचना

कोलकाता, 24 नवम्बर, 2022

का.आ. 5680(अ).—रेलवे(अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (7 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् रूप से नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम-(4) में वर्णित रेलवे परियोजना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य-निष्पादित करें तथा उपर्युक्त तलिका के ही कॉलम-(3) में वर्णित राज्य में कार्य-निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन के लिए भी वह कार्य करें तथा यह राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

तालिका

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पश्चिम बर्धमान।	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए मौजूदा चौगुनी मुख्य लाइन से शाखा लाइन तक सीधे संपर्क के साथ अंडाल-सैंथिया बीजी पास लाइन, बिशेष रेल परियोजना।

[फा. सं. – मु. प्र. अ./नि./ भू./ 219]

वी. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

8095 GI/2022 (1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(EASTERN RAILWAY)

(Construction department)

NOTIFICATION

Kolkata, the 24th November, 2022

S.O. 5680(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby authorises the officer mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions of the **Competent Authority** in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Serial Number	Competent Authority	State	Name of Railway Project.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Paschim Bardhaman.	West Bengal.	Andal-Sainthia BG By pass line with direct connection from the existing quadruple main line to branch line, special railway project for land acquisition in the District of Paschim Bardhaman.

[F. No. CAO/Con/L/ 219]

V.K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer/Con.